

पुलिस द्वारा उपस्थित होने के लिये नोटिस

धारा 35 (3) भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता

काण्ड सं०-....., दिनांक-.....धारा-.....

थाना....., डायरी नं०-....., थाना प्रभारी....., जिला-.....

सेवा में,

.....

(अभियुक्त / नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम)

.....

(अंतिम ज्ञात पता)

.....

(दूरभाष सं०/ई-मेल पता (यदि कोई हो))

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में, मैं आपको सूचित करता हूँ कि अनुसंधान की कांड संख्या..... दिनांक.....के अनुसंधान की प्रक्रिया में कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इस संबंध में आपसे प्रश्न पूछ जाने का प्रयास कारण है। इसलिए वर्तमान अनुसंधान के संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक....., समय..... बजे थाना पर उपस्थित हों।

आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नांकित शर्तों का अनुपालन आपके द्वारा किया जाएगा। आप किसी भी साक्ष्य को रूपांतरित नहीं करेंगे। हालांकि आपको उपरोक्त एफ०आई०आर० के संबंध में इस स्तर पर गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा है, आपको निम्नलिखित सभी शर्तों / निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है:-

- (a) आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।
- (b) आप मामले में सबूतों के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
- (c) आप मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई धमकी, प्रलोभन या वादा नहीं करेंगे ताकि उसे ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।
- (d) जब भी आवश्यक / निर्देश दिया जाएगा, आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।
- (e) आप आवश्यकता पड़ने पर मामले की कांड के अनुसंधान में शामिल होंगे और सहयोग करेंगे।
- (f) आप सभी तथ्यों का खुलासा करेंगे, कांड के अनुसंधान हेतु प्रासंगिक सभी तथ्यों को बिना छुपाए खुलासा करेंगे ताकि सत्य और सही निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके।
- (g) आप जांच के उद्देश्य से आवश्यक सभी प्रासंगिक दस्तावेज / सामग्री प्रस्तुत करेंगे।
- (h) आप अपना पूरा सहयोग और.....
- (i) आप इस कांड में किसी भी प्रासंगिक साक्ष्य नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे।
- (j) कोई अन्य शर्तें जो मामले के तथ्यों के अनुसार जांच अधिकारी / एस०एच०ओ० द्वारा लगाई जा सकती है।

इस शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35 (6) के तहत गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी बना सकती है।

पुलिस स्टेशन.....

प्रभारी अधिकारी का नाम एवं पदनाम

.....